RAJYA SABHA

Tuesday, the 3rd December, 2002/12 Agrahayana, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock.
The Deputy Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

NPAs of State Finance Corporation

*201. DR. ABRAR AHMED:
SHRI RAJEEV SHUKLA:

Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of State Finance Corporations are very sick and burdened with a large amount of Non-Performing Assets;

(b) if so, the details thereof; and

(c) in what manner Government proposes to rehabilitate the State Finance Corporations and deal with their large Non-Performing Assets?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Out of the 18 State Finance Corporations (SFCs) four, that is of, Delhi, Kerala, Rajasthan and West Bengal have a positive net worth as on 31st March, 2002. The net worth, however, of the remaining 14 SFCs stands fully eroded. The accumulated losses of all these SFCs, during 2001-02, aggregates to Rs. 4,198 crores. NPAs of SFCs as a whole were 61% of the loans and advances, as at the end of March 2002. The amount involved is Rs. 7076 crores. Standard Assets constitute only 39%.

(c) The SFCs Act was amended in 2000 for providing flexibility and functional autonomy to them. A Committee headed by Shri G.P. Gupta, the then CMD, IDBI looked into their functioning and submitted a report recommending, *inter-alia*, financial, operational and organisational re-structuring of SFCs. The report of the Committee has been sent to various SFCs for taking immediate action on recommendations that do not involve any financial support, such as operational and organisational restructuring. SFCs being State entities, the State Governments are the principal stakeholders. They are thus expected to consider steps for improving the performance and recapitalisation of SFCs. In order to attract long term refinance from Financial Institutions, SFCs have to improve recovery of NPAs and reestablish their viability.

डा॰ अबरार अहमद: महोदया, स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने बताया कि 18 में से सिर्फ 4 स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस का नेटवर्थ पाजीटिव हैं, शेष 14 स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशंस की नैटवर्थ करीब-करीब फुली एरोडिड हो चुकी हैं। ऐसी हालत में स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के यूनिट्स प्रोजैक्ट फाइनेंसिज के लिए टोटली स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन पर निर्भर हैं। जहां उनकी यह हालत है, वहां बहुत सारी स्माल स्केल की यूनिट्स बंद होने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर में आपने जी.पी. गुप्ता, सी.एम.डी., आई.डी.बी.आई की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक और कमेटी श्री एस.एच. खान की अध्यक्षता में बनी थी। उसने भी इसी संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उनको वापिस ठीक स्थिति में किया जाए। इसके अलावा जिन उद्देश्यों के लिए एस.एफ.सी. बनाए थे, क्या आज भी उन उद्देश्यों का पालन वे कर रहे हैं? क्या इन्हें वाइंड-अप करने का सुझाव भी कहीं से आया है और उस पर सरकार विचार कर रही है या ये बिल्कुल नान-फंक्शनिंग होते चले जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: महोदया, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो उन्होंने जानना चाहा कि जो गुप्ता कमेटी बनी थी, उसके सुझावों पर क्या कार्यवाही हुई है और उस सारी प्रकिया को पूरा करने के लिए क्या-क्या करने की आवश्यकता है। दूसरा माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि यदि 18 में से 14 स्टेट फाइनेंस कारपोरेशंस काम नहीं कर रही हैं, मैं कोई कड़वा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा तो उनको वाइंड-अप क्यों नहीं किया जाता। जो दूसरा पहलू है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ये राज्यों की फाइनेंस कारपोरेशंस हैं, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं इसलिए इसमें राज्यों को अपने आप इस पर विचार करके कदम उठाने चाहिए, केन्द्र सरकार आवश्यक नहीं समझती कि उसमें हम कुछ सुझाव दें। उनकी क्षमता और ऋण देने की नहीं रही, यह सही बात है। गुप्ता कमेटी ने कई सुझाव दिये थे, उसमें कुछ आपरेशनल

थे, कुछ वित्त संबंधी थे, कुछ संस्थागत और आरगेनाइजेशनल थे। इस समिति की रिपोर्ट हमने स्टेट फाइनेंस कारपोरेशंस को इस सुझाव के साथ भिजवा दी है कि वे तुरंत उस पर कुछ कार्यवाही करें। राज्यों के स्तर पर क्या किया जा रहा है या क्या नहीं किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग सिडबी कर रहा है, यही माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है।

डा॰ अबरार अहमद: महोदया, मैंने एस.एच. खान कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था जो इसी संबंध में बनी थी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is already written in the reply, "IDBI looked into the functioning."

डा॰ अबरार अहमद: महोदया, उन्होंने गुप्ता कमेटी के बारे में प्रश्न में भी अपने उत्तर में दिया है और यहां पर भी बताया है, वह मैंने पढ़ा है लेकिन इस संबंध में एस.एच. खान कमेटी भी बनी थी, मैंने उसके बारे में जानना चाहा था। दूसरा सप्लीमेंटरी है कि एस.एफ.सी. अमैंडमेंट एक्ट 2000 जो लाया गया था, उसके अंदर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर के बारे में और डिविडेंड के बारे में कुछ प्रोवीजंस रखे गये थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो शेयर होल्डिंग ट्रांसफर्स के संबंध में इसमें सिडबी का रोल बढ़ाया गया था और जो प्रोवीजन उसमें रखे गये थे, उनका कितना पालन हो रहा है? बहुत सारी जगह इसकी ऐफीशिएंसी अफैक्टिड हो रही है, उसमें सी.एम.डी. और चेयरमैन के भी पद क्या रिक्त है, उस संबंध में बताएं।

श्री जसवंत सिंह: जो अमेंडमेंट एक्ट था जिसे संसद ने सन् 2000 में पास किया, उसका जो विशेष पहलू या अंग है, वह यह था कि एक तो स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन्स में पहले जो शेयर होल्डिंग आई.डी.बी.आई. की थी, वह अब सिडबी को दे दी जाएगी और इंडस्ट्रियल कंसर्न की जो परिभाषा थी, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स के, मैं शब्द का अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग....इसका अनुवाद हिंदी में बहुत क्लिष्ट होगा, इसलिए कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर ही अभी ठहरना होगा, तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बहुत सारी बातें थीं। इसके अलावा इसी संशेधन के तहत स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी और कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं, उन सबकी सूची देना मैं आवश्यक नहीं समझता। अभी किसी दूसरी समिति के बारे में माननीय सदस्य ने फरमाया, यदि उसकी और जानकारी दे दें तो हम उनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री राजीव शुक्ल: मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आई.डी.बी.आई. की शेयर होल्डिंग है सारी स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन्स में, क्या वह सिडबी को ट्रांसफर कर दी गई है? दूसरी यह कि क्या भारत सरकार का इरादा है कि यह राज्य वित्तीय संस्थान जो हैं, इनकी माली हालत ठीक करने के लिए भारत सरकार पैसा देगी जैसेकि अन्य वित्तीय संस्थानों को रिवाइव करने के लिए दिया जा रहा है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो मेरा कहना यह है कि ये भारत सरकार की वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, ये राज्यों की वित्तीय संस्थाएं हैं और इनको पुन:.... एक प्रकार से यह सही होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुनर्जीवित करने के लिए.....(**व्यवधान**)... मैं यह शब्द यहां पर प्रयोग नहीं करना चाहता था पर अचानक से आवाज आई कि ''पुनर्जीवित'' है तो इसको माननीय सदस्य गलत न समझें पर अपने आप में ...(**व्यवधान**).....

श्री राजीव शुक्ल: आज उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

श्री जसवंत सिंह: यह बहुत ही फलसफे का सवाल आ गया क्योंकि रीइनकार्नेशन अपने आप में मानवीय शरीर में तो होता है पर संस्थागत रीइनकार्नेशन संभव है, मैंने अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं पाई है।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Madam, there is no provision for fixation of responsibility and accountability on the Chief Executive Officers of the SFCs. Would the Ministry initiate any action to bring in an amendment with regard to fixing some accountability and responsibility for the bad debts of these institutions?

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I really do not want to enter this territory because here we are talking of State Finance Corporations, which over the years, have arrived at that situation. I do not wish to do it because it is a very conjoint area of high contention to me, and fixation of responsibility in regard to the States of the Union, which are otherwise zealous of their prerogatives—and I am respectful of the—States' rights would be difficult. Therefore, when the hon. Member talks of fixation of responsibility by the Central Government, this is an area where we have to tread with great care. That is why the State Financial Corporation Amendment Act had been brought so that there would be a realisation among the States themselves. But there is a need to address this issue. It is not possible for the Centre to be active, as a kind of a monitor of all such activities of the States.

श्री कलराज मिश्र: उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्तर्गत बताया है कि जो राज्य वित्तीय निगम अत्यधिक घाटे में थे, उनके घाटे के कारण क्या हैं। उसकी पूरी जानकारी के लिए एक समिति बनाई थी और समिति की कुछ सिफारिशें आई हैं। आपने कहा है कि उसको विभिन्न राज्यों को भिजवा दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि ये सिफारिशें उन राज्यों को कब भेजी गई हैं और उन राज्यों ने उसके अनुरूप कुछ कार्यवाही की या नहीं की है, यदि की है तो उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: उपसभापति जी, इस रपट के मिलने के बाद 5 मार्च, 2001 को सभी राज्य वित्तीय निगमों को ये सुझाव भिजवाए गए। उसके बाद वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिविजन के साथ चर्चा के दो राउंड हो चुके हैं। पहली मीटिंग 14 मार्च, 2000 को हुई थी। उसमें आईडीबीआई, सिडबी और राज्य वित्तीय निगमों के कुछ प्रतिनिधि थे। उसके बाद एक और मीटिंग 11 सितम्बर, 2001 को हुई। उसमें आईडीबीआई, सिडबी के अलावा रिजर्व बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्री को भी हमनें सम्मिलित किया। जो मुख्य प्रश्न या पहलू इन सभी चर्चाओं में से उभरे, वे ये थे कि भारत सरकार या रिजर्व बैंक का जो इन वित्तीय संस्थाओं के रि-कैपिटलाइजेशन का प्रश्न है उसमें रिजर्व बैंक या भारत सरकार योगदान नहीं दे पाएगी। इसके अलावा जो कुछ संकेत हमें राज्य वित्तीय निगमों से मिले हैं उसकी इतनी विशेष आवश्यकता नहीं थी फिर यह कहना है कि जो राज्य सरकारें हैं वे भी अपनी खुद की माली हालत को देखते हुए इस दिशा में जाने के लिए बहुत संकोच कर रही हैं।

Exploration of oil and natural gas in Krishna-Godawari basin

*202. DR. DASARI NARAYANA RAO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the present status of exploration of oil and natural gas in Krishna-Godawari basin in Andhra Pradesh by ONGC;

(b) whether any headway has been achieved in finding oil and gas reserves in the basin; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) A Statement is laid on the Table.

Statement

(a) to (c) Besides acquiring 32,574 Ground Line Kms. (GLK) of 2D and 19,799 GLK of 3D of seismic data, Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) has drilled 323 exploratory and 27 development wells in Krishna-Godavari (KG) onland basin in the State of Andhra Pradesh as on 01.10.2002. These exploratory efforts of ONGC in Andhra Pradesh have led to the discovery of 41 hydrocarbon finds, of which 8 are oil and gas finds and 33 are gas finds. Further, as on 01.04.2002, from these finds ONGC has established 56.5 Million Metric Tonnes (MMT) ultimate reserves of oil and oil equivalent gas (O+OEG), of which 51.7 Billion Cubic Metres (BCM) are ultimate gas reserves.

In addition to the above onland areas, ONGC has acquired 46,650